



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 1984/फाल्गुन 22, 1905
No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 1984/PHALGUNA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1984

का०अं० 155(अ):—राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)
की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों
और प्रावियों के उपबन्धों के अनुसार, राज्य सभा के ऐसे सदस्यों के स्थान भरने के लिये, जो

अगली पचावधि के अधिसूचना पर 9 अप्रैल, 1984 को सेवा-निवृत्त होंगे, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में प्रत्येक राज्य के मामले विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं।

सारणी

राज्य का नाम	निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या
1	2
1. आंध्र प्रदेश	6
2. असम	3
3. बिहार	7
4. गुजरात	4
5. हरियाणा	2
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. कर्नाटक	4
8. मध्य प्रदेश	5
9. मणिपुर	1
10. पंजाब	2
11. राजस्थान	3

[फा०सं० एक०-13/2/84-वि० 2]

प्रार०बी०एस०पेरिक्लास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 1984

S.O. 155(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in Column 1 of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made hereunder, the number of members specified against each State in Column

2 of the said Table, for filling the seats of such of the members of the Council of States as would be retiring on the 9th April, 1984, on the expiration of their term of office.

TABLE

Name of the State	Number of members to be elected
1	2
1. Andhra Pradesh	6
2. Assam	3
3. Bihar	7
4. Gujarat	4
5. Haryana	2
6. Himachal Pradesh	1
7. Karnataka	4
8. Madhya Pradesh	3
9. Manipur	1
10. Punjab	2
11. Rajasthan	3

[[No. F.13/2/84-Leg. II]

R.V.S. PERI SASTRI, Secy.

